कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, पिन–248195

पत्रांकः 82/सा0प्र0/फॉर्म एवं रजि0छपा0/2020–21/1511 दिनांकः 08.01.2021

निविदा सूचना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून, देहरादून में स्थित ख्याति प्राप्त बाइडिंग की सेवा प्रदाताओं से इस कार्यालय के कार्मिको की सेवा पुस्तिकाऐं एवं वेतन बिल रजिस्टर की बाईडिंग कार्य हेतु सीलबन्द निविदायें आमंत्रित करता है। उक्त निविदायें दिनांक 29.01.2021 सायं 03:00 बजे तक सीलबन्द कर इस कार्यालय में स्थित बॉक्स में By hand या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित की जा सकती है। निविदायें दिनांक 01.02.2021 को सायं 04:00 बजे सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित टेण्डर समिति के सदस्यों के द्वारा खोली जाएगी।

हस्ता०/–
उपमहालेखाकार/प्रशासन

निविदा की नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :–

1. निविदाकर्ता बाइडिंग होने वाली सामग्री को दिनांक 14.01.2021 से 15.01.2021 के मध्य प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 तक सामान्य प्रशासन अनुभाग की अनुमति लेकर भौतिक रूप से देख सकते है। वर्तमान में सेवा पुस्तिकाओं की अनुमानित संख्या 300 व वेतन बिल रजिस्टर 50 हैं। कार्य के दौरान इस अनुमानित संख्या में बदलाव हो सकता है। संख्या बढ़ने पर निविदा में दी गई दरों पर ही कार्य करना होगा।
2. निविदाकर्ता बाइडिंग सामग्री को भौतिक रूप से देखने के पश्चात् अपनी निविदा जिसमें दोनों कार्यों की प्रति यूनिट दरें अंको व शब्दों में GST Excluding अंकित कर एक सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 29.01.2021 सायं 03:00 बजे तक इस कार्यालय में स्थित निविदा बॉक्स में By hand या सीलबन्द निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित कर सकते है। डाक से निविदा प्रेषित करने पर लिफाफे के ऊपर "बाइडिंग कार्य की निविदा" अवश्य लिखना सुनिश्चित करें।
3. निविदायें दिनांक 01.02.2021 को टेण्डर समिति द्वारा खोली जायेगी।
4. निविदाकर्ता को उपरोक्त सेवा पुस्तिका एवं वेतन बिल रजिस्टर की बाईडिंग का कार्य कार्यालय में ही निर्देशानुसार करना होगा किसी परिस्थिति में सेवा पुस्तिका एवं वेतन बिल रजिस्टर को कार्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. निविदाकार्ता को सेवा पुस्तिका एवं वेतन बिल रजिस्टर की बाईडिंग का कार्य 07 कार्यदिवस में पूर्ण करना होगा ।
6. बाईडिंग कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने पर ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। कार्य के दौरान राजकीय अभिलेखो के किसी भी प्रकार के नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी एवं निविदाकर्ता राजकीय अभिलेखों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेंगे।
7. विभाग बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

8.1.2021
वरिष्ठ लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन